177

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर निग-2003-I-16

श्री [handwritten] ने आज दि. 23/6/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भंवरी बाई पत्नी श्री देवल्या, जाति आदिवासी (स) निवासी कस्बा श्योपुर, जिला श्योपुर (म0प्र0)

—— आवेदिका

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला – श्योपुर (म.प्र.)

2– अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर

3– उप–पंजीयक, श्योपुर

—— अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 379/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2003/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23-6-16	यह निगरानी आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 379/2015-16/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित कस्बा श्योपुर के भूमि सर्वे नं. 306 रकवा 1.390, सर्वे नं. 308 रकवा 0.773 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.163 हैक्टेयर का भूमिस्वामी है, इसके अलावा आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम सलापुरा, मौजा कलारना, तहसील श्योपुर सर्वे क्रमांक 78/4, 79/1, 80, 81, 85/2, 86, 88/2 कुल रकवा 1.641 हैक्टेयर भूमि आवेदिका के नाम होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कस्बा श्योपुर के सर्वे क्रमांक 306	

	रकवा 1.390 है0, सर्वे क्रमांक 308 रकवा 0.773 है0 कुल किता 2, कुल रकवा 2.163 है0 भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया था कि उसकी भूमि दो स्थानों पर होने से खेती करने में असमर्थ है यहाँ तक कि श्योपुर वाली भूमि कृषि नहीं होती है, इसलिए उक्त भूमि को विक्रय कर ग्राम सलापुरा की भूमि पर खेती के लिए उन्नत करना चाहती है, जिसके लिए पैसों की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार किये बिना प्रकरण में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3- आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया था। आवेदिका के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से भूमि सर्वे नं. 306 रकवा 1.390, सर्वे नं. 308 रकवा 0.773 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.163 हैक्टेयर का भूमिस्वामी है, इसके अलावा आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम सलापुरा, मौजा कलारना, तहसील श्योपुर सर्वे क्र0 78/4, 79/1,80,81,85/2,86,88/2 कुल रकवा 1.641है. भूमि आवेदिका के नाम होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कस्बा श्योपुर के सर्वे क्रमांक 306 रकवा 1.390 है0, सर्वे क्रमांक 308 रकवा	

0.773 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.163 है0 भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि आवेदिका की भूमि दो स्थानों पर होने से खेती करने में असमर्थ है एवं श्योपुर वाली भूमि पर खेती भी नहीं होती है, इसलिए वह ग्राम सलापुरा की भूमि को उन्नत करना चाहती है इसलिए श्योपुर वाली भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है उससे आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार किये जाने से रह गया है ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित किया है, वह अपास्त किया जाये एवं आवेदिका को उपरोक्त भूमि विक्रय की जाने की अनुमति दी जाये। अन्त निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विधिवत आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5— विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के

अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका की भूमि दो स्थानों पर होने से वह खेती करने में असमर्थ है तथा श्योपुर वाली भूमि कृषि योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में वह ग्राम सलापुरा की भूमि को उन्नत कर कृषि योग्य बनाना चाहती है, ऐसी स्थिति में आवेदिका के आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी किन्तु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना तथा आवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी आवेदन पत्र का निराकरण विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा की गयी कार्यवाही से आवेदिका का आवेदन पत्र विचार होने से रह गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा की गयी कार्यवाही एवं आदेश विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 अपास्त किया जाकर आवेदिका को कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे 306, 308 कुल रकवा 2.163 हैक्टेयर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य